बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

राज्य स्कीम

सं0–5/निदे0–(प्री मैट्रीक)–26–06/2015– 136

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 07/03/18

विषयः **वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम के बजट प्रावधान के अन्तर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति मद में ₹6000.00 लाख (साठ करोड़ रूपये) एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति मद में ₹600.00 लाख (छः करोड़ रूपये) अर्थात कुल ₹6600.00 लाख (छियासठ करोड़ रू0) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम के बजट प्रावधान के अन्तर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों के अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति मद में ₹6000.00 लाख (साठ करोड़ रूपये) एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति मद में ₹600.00 लाख (छः करोड़ रूपये) अर्थात कुल ₹6600.00 लाख (छियासठ करोड़ रू0) मात्र की राशि की स्वीकृति पत्रांक–17 दिनांक–05.06.2017 द्वारा दी है। तदनुसार संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिये प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति मद में ₹6000.00 लाख (साठ करोड़ रूपये) एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति मद में ₹600.00 लाख (छः करोड़ रूपये) अर्थात कुल ₹6600.00 लाख (छियासठ करोड़ रू0) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2– (i) – **संलग्न विवरणी में *अनुसूचित जाति के लिए*** भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के राज्य स्कीम मांग सं0–44 के अंतर्गत आय–व्ययक शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत निम्नलिखित लघु/उपशीर्ष में भारित होंगे:–

(क)– 277–शिक्षा–0319–पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति– विषय शीर्ष–0319.34.01–छात्रवृत्ति/वजीफा–(विपत्र कोड– 44–2225012770319), पी0 एफ0 एम0 एस0 कोड–9487

(ii) – **संलग्न विवरणी में *अनुसूचित जन जाति के लिए*** भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के राज्य योजना मांग सं0–44 आय–व्यय शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के निम्नलिखित लघु/उपशीर्ष में भारित होंगे :–

(क)–277–शिक्षा–0101–शिक्षा–विषय शीर्ष–0101.34.01–छात्रवृत्ति/वजीफा– (विपत्र कोड–44–2225022770101) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3– इस आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगे। साथ ही जिला पदाधिकारी अपने स्तर से पूरी प्रक्रिया का अनुश्रवण करते हुए त्रुटिरहित छात्रवृति वितरण सुनिश्चित करेंगे।

4– इस योजना के तहत राशि का व्यय विभागीय संकल्प सं0–4061 दिनांक–16.05.2016, संकल्प सं0–3098 दिनांक–20.12.2017 एवं संकल्प संख्या–386 दिनांक–15.02.2018 के आलोक में तथा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निदेश के आलोक में किया जायेगा।

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति का भुगतान DBT के माध्यम से किया जाएगा। जिला स्तरीय छात्रवृति चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में संबंधित संस्थान के बैंक खाते में अनिवार्य शुल्क की राशि एवं संबंधित छात्र/छात्रा के बैंक खाता में अनुरक्षण भत्ता की राशि का अन्तरण RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

5– संकल्प संख्या–386 दिनांक–15.02.2018 के आलोक में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्रतिबद्ध देयता (Committed Liability) तहत् वित्तीय वर्ष–2015–16 तक नामांकित एवं अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को नामांकन वर्ष में स्वीकृत शिक्षण एवं अनिवार्य शुल्कों की राशि एवं भुगतान की गई राशि की अन्तर राशि की शेष पाठ्यक्रम अवधि के लिए स्वीकृत राशि का भुगतान DBT के माध्यम से किया जाएगा।

जिला कल्याण पदाधिकारी उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

6– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक 2561 दिनांक 17–4–98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/ राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7– जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा अवशेष राशि कोषागार में जमा कर दिया जायेगा।

8– सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के आवंटन की सूचना दी जा रही है।

9– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार) 7/3/18

निदेशक ।

ज्ञापांक–5/निदे0–(प्री मैट्रीक)–26–06/2015–136 पटना, दिनांक 07/03/18

प्रतिलिपि :(1) विवरणी की प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(2) प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग को विवरणी की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी जिला कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त,/सभी उप निदेशक, कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा0–5(निदे0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक 7/3/18

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना मद में पूरे वर्ष के लिए आवंटित राशि की विवरणी ।

कमांक	जिला का नाम	अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति विषय शीर्ष– 0319.34.01 विपत्र कोड–44–2225012770319	अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति विषय शीर्ष– 0010.34.01 विपत्र कोड–44–2225022770101	कुल आवंटित राशि (3+4)
1	2	3	4	5
1	पटना	448.00	50.00	*498.00*
2	नालंदा	110.00	0.00	*110.00*
3	रोहतास	125.00	20.00	*145.00*
4	भभुआ	110.00	30.00	*140.00*
5	भोजपुर	300.00	20.00	*320.00*
6	बक्सर	60.00	10.00	*70.00*
7	गया	500.00	10.00	*510.00*
8	जहानाबाद	120.00	0.00	*120.00*
9	अरवल	100.00	0.00	*100.00*
10	नवादा	160.00	5.00	*165.00*
11	औरंगाबाद	120.00	10.00	*130.00*
12	सारण	220.00	60.00	*280.00*
13	सिवान	200.00	60.00	*260.00*
14	गोपालगंज	100.00	50.00	*150.00*
15	मुजफ्फरपुर	498.00	6.00	*504.00*
16	सीतामढी	100.00	0.00	*100.00*
17	शिवहर	20.00	0.00	*20.00*
18	प० चम्पारण	170.00	70.00	*240.00*
19	पू० चम्पारण	130.00	0.00	*130.00*
20	वैशाली	350.00	0.00	*350.00*
21	दरभंगा	130.00	0.00	*130.00*
22	मधुवनी	400.00	2.00	*402.00*
23	समस्तीपुर	185.00	0.00	*185.00*
24	सहरसा	75.00	8.00	*83.00*
25	सुपौल	50.00	2.00	*52.00*
26	मधेपुरा	150.00	4.00	*154.00*
27	पूर्णियां	152.00	35.00	*187.00*
28	अररिया	60.00	10.00	*70.00*
29	किशनगंज	60.00	10.00	*70.00*
30	कटिहार	100.00	25.00	*125.00*
31	भागलपुर	152.00	50.00	*202.00*
32	बाँका	80.00	15.00	*95.00*
33	मुंगेर	60.00	10.00	*70.00*
34	लखीसराय	60.00	8.00	*68.00*
35	शेखपुरा	60.00	0.00	*60.00*
36	जमुई	90.00	20.00	*110.00*
37	खगड़िया	75.00	0.00	*75.00*
38	बेगुसराय	120.00	0.00	*120.00*
	कुल योग	*6000.00*	*600.00*	*6600.00*

(छियासठ करोड रू० मात्र)

पत्रांक– 136 दिनांक– 07/03/18 का अनुलग्नक ।

allotment-plan-stipend- 17-18

निदेशक